राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर

आदेश

एकलपीठ दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका संख्या-35 /2004
उमेश वशिष्ठ व योगेश कुमार बनाम राजस्थान राज्य

दिनांक- 11.12.2007

माननीय न्यायाधिपति श्री जितेन्द्र राय गोयल

श्री विश्वास मित्तल, अधिवक्ता वास्ते
श्री आर के माथुरअधिवक्ता- अभियुक्त- निगरानीकारान् की ओर से ।
श्री एस एन गुप्ता, विद्वान लोक अभियोजक वास्ते राज्य।

--

अभियुक्त-निगरानीकारान् की ओर से यह निगरानी याचिका अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-2, अलवर के द्वारा दाण्डिक नियमित अपील संख्या-55/03 में पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 16.12.2003 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है, जिसके अन्तर्गत अभियुक्त- निगरानीकारान् द्वारा प्रस्तुत अपील जो न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-3, अलवर द्वारा फौजदारी प्रकरण संख्या-23/564/2001 में पारित आदेश दिनांक 1.5.2003 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी थी,जिसमें अभियुक्त-निगरानीकारान् की धारा 323 व 341 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध की गयी दोषी सिद्धी को यथावत रखा किन्तु परिवीक्षा के आदेश में संशोधन करते हुए अभियुक्त-निगरानीकारान को स्वयं पांच-पांच हजार रूपये के बंध पत्र पर एक-एक वर्ष के स्थान पर दो-दो वर्ष तक सदाचारी रहने व शान्ति बनाये रखने व न्यायालय द्वारा तलब करने पर सजा भुगतने हेतु उपस्थित हो जावेंगे, पाबन्द किया एवं परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत दिलायी गयी क्षतिपूर्ति की राशि को 150/- 150/- रूपये कुल 300/- रूपये को बढ़ाते हुए दो-दो हजार रूपये कुल चार हजार रूपये प्रत्येक अभियुक्त से आहत को दिलाये जाने का आदेश दिया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की सहमति पर इस निगरानी

याचिका के ग्रहणार्थ पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया व पत्रावली काअवलोकन किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त-निगरानीकारान् की ओर से यही तर्क दिया गया है कि इस मामले में स्वतंत्र साक्षीगण पी.डब्लू.2 बाबू लाल, पी.डब्लू.3 छगन सिंह, पी.डब्लू.5 विकेन्द्र सिंह व पी.डब्लू.7 भीष्म प्रताप सिंह पक्षद्रोही हुए हैं। इन परिस्थितियों में केवल आहत पी.डब्लू.4 प्रवीण कुमार व उसकी माता पी.डब्लू.1 श्रीमती संतोष की ही साक्ष्य पर विश्वास करते हुए अभियुक्त-निगरानीकारान. को दोष सिद्ध किया जाना उचित नहीं है। उनका यह भी तर्क रहा है कि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-3, अलवर के निर्णय व दण्डादेश के विरूद्ध अभियुक्त-निगरानीकारान् द्वारा ही अपील की गयी थी, जिसमें विधि विरूद्ध तरीके से क्षतिपूर्ति की राशि व बंध पत्र की अवधि को बढ़ा दिया गया जबकि ऐसा किये जाने का न तो कोई उचित आधार था और न ही ऐसे मामलों में अपीलीय न्यायालय को धारा 386 जाप्ता फौजदारी के प्रावधान सजा बढ़ाने की कोई अधिकारिता देता है।

विद्वान लोक अभियोजक ने विवादित आदेश को उचित ठहराया है।

हमने उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया।

यह बात सही है कि इस मामले में कुछ स्वतंत्र साक्षीगण पक्षद्रोही हुए है लेकिन ऐसे मामलों में यदि आहत व अन्य हितबद्ध साक्षी की साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत हो तथा उनका चिकित्सीय साक्ष्य व अन्य परिस्थितियां समर्थन कर रही हो तो अभियुक्त-निगरानीकारान् की दोष सिद्धी को अनुचित नहीं ठहराया जा सकता। इस मामले में इन्हीं परिस्थितियों पर विचार करते हुए अन्वीक्षा न्यायालय द्वारा पी.डब्लू.4 आहत प्रवीण कुमार व पी.डब्लू.1 श्रीमती संतोष की साक्ष्य को विश्वसनीय पाया है, जिसका चिकित्सीय रिपोर्ट से भी समर्थन होना पाया गया है। इन परिस्थितियों में दोनों ही न्यायालयों की concurrent finding होने से उसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्यपूर्ण आधार नहीं है।

जहां तक अभियुक्त-निगरानीकारान् की अपील में सजा की वृद्धि किये जाने के अपीलीय न्यायालय की अधिकारिता का प्रश्न है? इस संदर्भ में धारा 386

जाप्ता फौजदारी के प्रावधान सुसंगत है, जो निम्न प्रकार है:-

धारा -386- Power of the Appellate Court- --

(b) in an appeal from a conviction-

(i) reverse the finding and sentence and acquit or discharge the accused,or order him to be re-tried by a Court of competent jurisdiction subordibnate to such Appellate Court or committed for trial, or

(ii) alter the finding, maintaining the sentence, or

(iii) with or without altering the finding, alter the nature or the extent, or the nature and extent, of the sentence, but not so as to enhance the same;

उक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि सजा को यथावत रखा जा सकता है, बदला जा सकता है लेकिन सजा में कोई बदलाव इस प्रकृति का नहीं होगा, जिससे कि सजा में वृद्धि हो।

इस मामले में अन्वीक्षा न्यायालय द्वारा अभियुक्त-निगरानीकरान् को धारा 323 व 341 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का दोषी घोषित करते हुए धारा-4 परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देते हुए एक साल के सदाचारी रहने व जब भी न्यायालय तलब करेगा सजा भुगतने के लिए उपस्थित रहने की शर्त पर पांच-पांच हजार रूपये के स्वयं के मुचलके से पाबन्द किया गया था तथा धारा-5 परिवीक्षा अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक अभियुक्त से रूपये 150/- -150/- कुल 300/- रूपये आहत प्रवीण को दिलाये जाने का आदेश दिये तथा 200/- रूपये अभियोजन व्यय के रूप में प्रत्येक अभियुक्त से दिलाये जाने के आदेश दिये थे। लेकिन अभियुक्त-निगरानीकारान् की अपील में वृद्धि स्वरूप परिवर्तन करते हुए एक वर्ष के बंध पत्र के स्थान पर दो वर्ष की अवधि के लिए बंध पत्र से पाबन्द किया तथा 150-150/- रूपये की क्षतिपूर्ति के स्थान पर दो-दो हजार कुल चार हजार रूपये क्षतिपूर्ति के दिलाये जाने के आदेश दिये, जिसके संदर्भ में कोई

समुचित कारण भी नहीं दर्शाया गया है।

इन परिस्थितियों में हमारे मत से बंध पत्र की अवधि व क्षतिपूर्ति की राशि में वृद्धि करने का आदेश विधि सम्म्त व उपयुक्त परिलक्षित नहीं हो रहा है।

फलस्वरूप अभियुक्त-निगरानीकारान् द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-2, अलवर के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.12.2003 को अपास्त किया जाता है तथा विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-3, अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 1.5.2003,जिसके अन्तर्गत अभियुक्त-निगरानीकारान् की धारा 323 व 341 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में की गयी दोष सिद्धी व धारा-4 परिवीक्षा अधिनियम के अन्तर्गत बंध पत्र से पाबन्द करने की अवधि व धारा-5 परिवीक्षा अधिनियम के अन्तर्गत दिलायी गयी क्षतिपूर्ति की राशि व अभियोजन व्यय के रूप में दिलायी गयी राशि को यथावत रखा जाता है।

(न्या0 जितेन्द्र राय गोयल)